



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना संख्या-01/वि./यां. / 2025-26

ई-निविदा सूचना

दिनांक: 15/04/2025

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्य हेतु शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रुपये में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ताजनगरी योजना फेस-2 स्थित ए.डी. ए. हाईट्स में विभिन्न ब्लॉकों में लगी 19 नग लिफ्टों का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	39.17	78,400/-	1,180/-	01 वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	वि./यां.
2	ताजनगरी योजना फेस-2 स्थित ए.डी. ए. हाईट्स में स्थापित 500 के.वी.ए. के 02 नग गैस जैनसेट का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	20.95	41,900/-	1,180/-	01 वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	वि./यां.

- उक्त कार्यों की ई-निविदा दिनांक 05.05.2025 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.04.2025 से 05.05.2025 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender-up-nic.in पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती है।

अधिसूचना अमियन्ता
(वि०/यां०)

दिनांक - 16/4/25



आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं०-०१/वि./या./2025-26

दिनांक : 15/04/2025

ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्य हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ताजनगरी योजना फेस-2 स्थित ए.डी. ए. हाईट्स में विभिन्न ब्लॉकों में लगी 19 नग लिफ्टों का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	39.17	78,400/-	1,180/-	01 वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	वि./या.
2	ताजनगरी योजना फेस-2 स्थित ए.डी. ए. हाईट्स में स्थापित 500 के.वी.ए. के 02 नग गैस जैनरीट का वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।	20.95	41,900/-	1,180/-	01 वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	वि./या.

- उक्त कार्यों की ई-निविदा दिनांक 05.05.2025 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.04.2025 से 05.05.2025 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:-

- उक्त कार्यों की ई-निविदा दिनांक 05.05.2025 को आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.04.2025 से 05.05.2025 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- वांछित घरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि तक निर्धारित समय से पूर्व वेबसाइट <https://induscollect.indusind.com/pay/index.php> से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी घरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर ले। समस्त शर्तों का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर ले। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। शर्तें निविदा मान्य नहीं होगी।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों को ई-टेंडर की खुली निविदा में (Open e-tender) प्रतिभाग करने की अनुमति प्राधिकरण हित में एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि अर्ह फर्म (L1) को प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत प्ररुनगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- निविदा की दरे शब्दों एवं अकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरे कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-692/23-07-2024, दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार वांछित परफोरमेंस गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देव होगी।
- सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कमरा-

10. उपरोक्त कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
11. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
12. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित की जा सके।
13. निविदा के साथ रु० 100/- का स्टाम्प पेपर एवं रु 02/- का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
14. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।
15. समस्त प्रकार के कार्यों (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यों) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
16. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अधिशायी अभियन्ता
(वि०/या०)

निविदा सूचना सं० : ०१ / वि./यां./ 2025-26, दिनांक : 15/04/2025

प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. पित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
4. प्रभारी आई.टी. सेल/जनसम्पर्क अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे नियमानुसार वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये।
5. नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करने हेतु।

अधिशायी अभियन्ता
(वि०/या०)